

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 03/2025

दायर दिनांक – 02.01.2025

### उनवान

1. दुर्गा लाल पिता बालुराम कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. रतन लाल पिता रामचन्द्र कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

————( प्रार्थीगण)

### बनाम

1. सायरी देवी पत्नि लादूलाल कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. प्रभु पिता रूपा कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. मोती पिता रूपा कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. रामदेव पिता रूपा कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. मेवालाल पिता हरजी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. मोहनलाल पिता हरजी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. सत्यनारायण पिता हरजी कीर नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
8. जगदीश पिता हीरा जाट नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. महादेव पिता हीरा जाट नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
10. रामकिशन पिता पन्ना जाट नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
11. रामेश्वर पिता हीरा जाट नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
12. सत्यनारायण पिता हीरा जाट नि. ईटडिया तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

————( अप्रार्थीगण)

उपस्थित—

प्रार्थीगण अधिवक्ता— श्री योगेश आगाल

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात**

### आदेश

दिनांक – 11.09.2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 528 के आ.न. 1776/128 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

### आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 528 के आ.न. 1776/128 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)

उपखण्ड अधिकारी  
फूलियाकला, जिला भीलवाडा  
फूलियाकला, जिला-भीलवाडा